पत्र संख्या–11 / आ0नी0–I–04 / 2015 सा0प्र0 9313

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।

पटना–15, दिनांक 26.6.15

विषयः– **तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–212 दिनांक– 23.01.2006 का अनुपालन के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार की सेवाओं / संवर्गों में भर्त्ती हेतु उम्र के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कट ऑफ डेट संबंधी प्रावधानों का निर्धारण किया गया था।

2. प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि प्रशासी विभाग / नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा संबंधित अनुशंसी संस्था को अधियाचना भेजते समय उक्त परिपत्र में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, फलतः माननीय न्यायालय में इस निमित आये दिन याचिकाएँ दायर की जा रही हैं। इससे सरकार पर एक तरफ जहाँ न्यायिक वादों का अनावश्यक दवाब पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ नियुक्ति प्रक्रिया बाधित होने से समय पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त नहीं हो पाती है, जो सरकार तथा अभ्यर्थियों दोनों के हितों के प्रतिकूल है।

3. अतः परिपत्र संख्या–212 दिनांक–23.01.2006 के संदर्भ में कार्यहित में निम्नांकित निदेश जारी किये जा सकते हैं :–

प्रशासी विभाग / नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग सहित अन्य अनुशंसी संस्थाओं को नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजते समय इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि हस्तगत अधियाचना में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–212 दिनांक–23.01.2006 द्वारा प्रावधानित अधिकतम उम्र सीमा में यथास्थिति छूट दी गई है।

4. सुलभ प्रसंग हेतु परिपत्र संख्या–212 दिनांक–23.01.2006 की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(राजेन्द्र राम) 26.06.2015
सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-D/NAVLESH – HINDI LETEER

(11)

पत्र संख्या–3/एम–90/2005 का०–212 /

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

राजीव लोचन,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना–15, दिनांक– 23.01.2006

विषय : बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार के सेवाओं/संवर्गों में भरती हेतु उम्र के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कट ऑफ डेट के निर्धारण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर राज्य सेवाओं/संवर्गों में नियुक्ति की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा लोक सेवा आयोग को समयानुसार वार्षिक रिक्ति के आधार पर अधियाचना नहीं भेजे जाने के कारण प्रतिवर्ष नियुक्ति की कार्रवाई नहीं होती है । इसके कारण एक ओर तो कई योग्य उम्मीदवारों को लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने का समुचित अवसर नहीं मिल पाता है तो दूसरी ओर नियमित नियुक्ति नहीं होने से कार्मिक प्रबंधन में कठिनाई होती है और अनावश्यक विवाद के कारण मामला न्यायालय में लम्बित रह जाता है ।

2. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक–11013 दिनांक–17.06.77 द्वारा अधियाचना भेजने हेतु एक समय सारणी परिचारित की गई थी । उक्त परिपत्र के अनुसार प्रति वर्ष रिक्तियों का आकलन पहली अप्रिल की स्थिति के अनुसार करते हुए 30 अप्रिल तक अधियाचना आयोग को भेजी जानी थी । तदनुसार आयोग द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन 15 जुलाई तक कर दिया जाना था । उक्त आधार पर नियुक्ति हेतु कट ऑफ डेट का निर्धारण 01 अगस्त किया गया था । परन्तु, हाल के वर्षों में उक्त समय सारणी का अनुपालन नहीं होने के कारण राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गों में नियमित रूप से नियुक्ति की कार्रवाई संभव नहीं हो पा रही है ।

(10)

3. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि रिक्तियों का आकलन प्रतिवर्ष किया जाए तथा तदनुसार आयोग को अधियाचना प्रतिवर्ष भेजना सुनिश्चित किया जाए । परन्तु, यदि किसी कारण से ऐसा संभव नहीं हो सके तो वैसी स्थिति में जो उम्मीदवार अंतिम विज्ञापन/परीक्षा के समय उम्र के आधार पर पात्रता रखते थे और उसके बाद भी अगले वर्ष या उसके बाद वाले वर्ष में भी परीक्षा होने पर परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर योग्य होते, परन्तु विज्ञापन नहीं होने के कारण अधिकतम उम्र सीमा पार कर जाते हैं और कालक्रम में अगली परीक्षा हेतु विज्ञापन निकालते समय उम्र सीमा के आधार पर अयोग्य हो जाते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों को ऐसी परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाए तथा मात्र उम्र के आधार पर अयोग्य होने की स्थिति में उन्हें परीक्षा में भाग लेने से वंचित नहीं किया जाए ।

4. इस संबंध में उदाहरणस्वरूप यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि पूर्व में अंतिम विज्ञापन वर्ष 1994 में हुआ हो तथा वर्ष 1995 में या उसके बाद विज्ञापन नहीं हो सका हो तो ऐसे सभी उम्मीदवार, जो वर्ष 1995 में परीक्षा होने पर अधिकतम उम्र सीमा पार नहीं कर गए होते तथा उसके बाद के वर्षों में उम्र सीमा पार कर लेते हैं तो अगली परीक्षा यदि वर्ष 2000 में भी आयोजित हो तो उन्हें मात्र वर्ष 2000 की परीक्षा में भाग लेने हेतु उम्र सीमा के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाए ।

5. आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशों के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ।

विश्वासभाजन,

(राजीव लोचन)
सरकार के अपर सचिव ।